न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— श्री बाबूलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 102/2012 (गत मु.नं. 111/2009) {RCMS 2009/00033}
वादी
1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी
1. किशोरसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

दावा :— **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :— राज पैरोकार तहसीलदार कुचामनसिटी।

निर्णय

दिनॉक :— 30.9.2021

प्रकरण का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 564 रकबा 0.68 हैक्टर किस्म बारानी राजस्व रेकार्ड सम्वत 2062—2065 के अनुसार प्रतिवादी की खातेदारी भूमि दर्ज है, प्रतिवादी ने उक्त भूमि में से 0.16 हैक्टर भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का निर्माण कर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है, वादी के पास इस आशय की सूचना दी है कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि में कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है, पटवारी हल्का चितावा ने पेश की, जिस पर प्रतिवादी को वादी द्वारा नोटिस दिया गया, परन्तु प्रतिवादी कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित किये जाने की विहित प्राधिकारी की अनुमति प्रस्तुत करने में असफल रहा है, प्रतिवादी को उक्त कृषि भूमि को विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना अकृषि उपयोग करने का अधिकार नहीं है, बिनाय दावा दिनॉक 05.08.2008 को वादी के पास विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 90 R.L.R.Act सं. 8/08 प्रस्तुत होने पर उत्पन्न हुआ है, वादी की इस्तदुआ है कि प्रतिवादी ने बिना विहित प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित कर दिया है अतः ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 564 रकबा 0.68 हैक्टर को राजकीय दर्ज कर मुझ वादी [illegible] जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजि[illegible] जरिये अखबार स्याहा सम्मन जारी कर तलबी की गई, [illegible] दैनिक नवज्योति अंक के पेज सं. 9 पर सम्मन प्रकाशित होकर प्रति शामिल [illegible] की गई, प्रतिवादी [illegible] को आवाजे लगाई गई, जो अनुपस्थित रहे जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक—पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दस्तावेजी साक्ष्य में धारा 90 ए के तहत कार्यवाही रिपोर्ट की

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी नकल सम्वत 2062–2065, 2070–2073 की प्रमाणित प्रति, एवं चालू जमाबन्दी की नकल प्रस्तुत की।

प्रकरण में राज पैरोकार की बहस सुनी गई, जिन्होने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त भूमि को राजकीय दर्ज कर कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट 90 ए कार्यवाही अनुसार ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 564 रकबा 0.68 हैक्टर किस्म बारानी में से 0.16 हैक्टर पर प्रतिवादीगण द्वारा बिना सक्षम अधिकारी अनुज्ञा प्राप्त किये आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का निर्माण कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन काम में लिया है, जमाबंदी नकल सम्वत 2062–2065 ग्राम चितावा के खसरा नम्बर 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 1364/561 कुल रकबा 9.04 हैक्टर में सह खातेदारान के साथ प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आई, जमाबंदी नकल सम्वत 2070–2073 अनुसार नामा.सं. 1959 दिनॉक 22.05.2014 के द्वारा किशोरसिंह पुत्र मानसिंह भंवर कंवर बेवा मानसिह 1/4 जाति राजपूत के स्थान पर औंकारसिंह प्रकाशसिंह पि. किशोरसिंह 0.34 हैक्टर, जब्बरसिंह भानसिंह 0.34 हैक्टर इत्यादि अन्य खातेदारान के नाम भूमि दर्ज हुई। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के अनुसार निम्नवत प्रविष्टि दर्ज है :–

ग्राम का नाम :- चितावा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- चितावा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- चितावा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 18
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 16

काश्तकार का नाम:-
1. आनन्दसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा- 7/226 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
2. ईन्द्रसिंह पुत्र केसरसिंह हिस्सा- 1211/90400 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
3. ईश्वरराम पुत्र रामचन्द्र हिस्सा- 1/113 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
4. उच्छबकंवर पति पर्वतसिंह हिस्सा- 1211/361600 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
5. उम्मेदसिंह पुत्र मोहनसिंह हिस्सा- 7/226 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
6. ओंकारसिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा- 17/904 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
7. ओमकंवर पुत्री पर्वतसिंह हिस्सा- 1211/361600 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
8. कुनणकंवर पुत्री सोनसिंहउर्फसोहनसिंह हिस्सा- 19/904 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
9. कमलादेवी पति मदनलाल हिस्सा- 1/1130 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
10. कुलदीपसिंह पुत्र दातारसिंह हिस्सा- 1211/813600 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
11. गंगाराम पुत्र खेताराम हिस्सा- 11/904 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
12. गोपालराम पुत्र ईसराराम हिस्सा- 1/226 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
13. गोरूराम पुत्र हीराराम हिस्सा- 7533/90400 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
14. घनश्यामसिंह पुत्र सुल्तानसिंह हिस्सा- 1211/271200 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
15. घासीराम पुत्र रूपाराम हिस्सा- 12019/90400 जाति- नायक सा. देह खातेदार
16. चोथाराम पुत्र ईसराराम हिस्सा- 1/113 जाति- खटीक सा. देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम का नाम :- चितावा	अंतिम चौसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- चितावा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- चितावा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 18
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 16

17. छिगनकंवर पत्नि हेमसिंह हिस्सा- 2/113 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
18. जब्बरसिंह पुत्र भानसिंह हिस्सा- 17/452 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
20. जयसिंह पुत्र प्रतापसिह हिस्सा- 7/678 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
19. जयसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा- 5/678 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
21. जसुबेन पुत्री लालीदेवी हिस्सा- 1/2260 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
22. दशरथसिंह पुत्र प्रतापसिह हिस्सा- 7/678 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
23. दिलीपसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा- 5/678 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
24. नरेन्द्रसिंह पुत्र पर्वतसिंह हिस्सा- 1211/361600 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
25. नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा- 19/904 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
26. नाजिमा कामिल चौपदार पुत्री शेखआसिक मो. हिस्सा- 1/64 जाति- कलाल सा. देह खातेदार
27. प्रकाशसिंह पुत्र किशोरसिंह हिस्सा- 17/904 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
28. परमेश्वर पुत्र भैरूराम हिस्सा- 807/45200 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
29. पारस पुत्र लालीदेवी हिस्सा- 1/2260 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
30. बबीतादेवी पत्नि महेन्द्र हिस्सा- 92903/9040000 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
31. बाबूलाल पुत्र भैरूराम हिस्सा- 3/226 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
32. बिजेशकुमार पुत्र घासीराम हिस्सा- 807/90400 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
33. मुन्नी पुत्री मदनलाल हिस्सा- 1/1130 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
34. महेन्द्रकुमार पुत्र मदनलाल हिस्सा- 1/1130 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
35. महेन्द्रसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा- 5/678 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
36. मोहनकंवर पत्नि केसरसिंह हिस्सा- 1211/90400 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
37. युसुफ अमिना शेख पुत्र शेखआसिक मो. हिस्सा- 3/64 जाति- कलाल सा. देह खातेदार
38. रणजीतसिंह पुत्र केसरसिंह हिस्सा- 1211/90400 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
39. रामेश्वर पुत्र सुखाराम हिस्सा- 1398997/9040000 जाति- नायक सा. देह खातेदार
40. लालाराम पुत्र ईसराराम हिस्सा- 1/226 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
41. लिछमणराम पुत्र हीराराम हिस्सा- 227/5650 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
42. शेखसफीमोहम्मद पुत्र खुदाबक्ष हिस्सा- 1/16 जाति- कलाल सा. देह खातेदार
43. संतोषकंवर पत्नि प्रतापसिह हिस्सा- 7/678 जाति- राजपुत सा. देह खातेदार
44. सन्जूकंवर पत्नि दातारसिंह हिस्सा- 1211/813600 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
45. सुप्रिया पुत्री दातारसिंह हिस्सा- 1211/813600 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
46. सुमनकंवर पुत्री पर्वतसिंह हिस्सा- 1211/361600 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
47. सेवाराम पुत्र मदनलाल हिस्सा- 1/1130 जाति- [illegible]
48. मायरकंवर पत्नि सुल्तानसिंह हिस्सा- 1211/2712[illegible]
49. सीताराम पुत्र भैरूराम हिस्सा- 1207/45200 जाति- खटीक सा.देह खातेदार
50. सीताराम पुत्र ईसराराम हिस्सा- 1/113 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
51. सोहनलाल पुत्र ईसराराम हिस्सा- 1/226 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
52. हेमराज पुत्र घासीराम हिस्सा- 807/90400 जाति- खटीक सा. देह खातेदार
53. हरीराम पुत्र ईसराराम हिस्सा- 1/226 जाति- खटीक सा. देह खातेदार,

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

ग्राम का नाम :- चितावा	अंतिम चोसला आधार सम्वत :- 2074 - 2077 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2018) से स्थायी
पटवार हल्का :- चितावा	भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
भू.अभि.नि. :- चितावा	क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
तहसील :- कुचामन	खाता संख्या नया :- 18
जिला :- नागौर	खाता संख्या पुराना :- 16

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1324/561	0.1200	बारानी 3	0.1200	0.33		स्वीकृत नामांतरकरण : 13 12/12/2019 शुद्धिपत्र	
555	1.4100	बारानी 3	1.4100	3.88		स्वीकृत नामांतरकरण : 2708 05/09/2018 विरासत	
556	0.0800	बारानी 3	0.0800	0.22		स्वीकृत नामांतरकरण : 2760 21/05/2019 विरासत	
557	0.0700	बारानी 3	0.0700	0.19		स्वीकृत नामांतरकरण : 2790 18/09/2019 विरासत	
558	0.0900	बारानी 3	0.0900	0.25		स्वीकृत नामांतरकरण : 2857 19/12/2019 हकत्याग	
559	0.0900	बारानी 3	0.0900	0.25		स्वीकृत नामांतरकरण : 2923 20/08/2020 बेचान	
560	0.2600	बारानी 3	0.2600	0.72		स्वीकृत नामांतरकरण : 3095 05/07/2021 विरासत	
561	0.5500	बारानी 3	0.5500	1.51		स्वीकृत नामांतरकरण : 3119 22/07/2021 विरासत	
564	0.6800	बारानी 3	0.6800	1.87		स्वीकृत नामांतरकरण : 3161 20/09/2021 हकत्याग	
565	0.3500	बारानी 3	0.3500	0.96			
566	0.6500	बारानी 3	0.6500	1.79			
567	0.9600	बारानी 3	0.9600	2.64			
568	1.9900	बारानी 3	1.9900	5.47			
569	1.6000	बारानी 3	1.6000	4.40			
570	0.1400	बारानी 3	0.1400	0.39			
कुल खसरे - 15	9.0400		9.0400	24.8700			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:42 IST
Reason: SelfAttested

दौराने वाद प्रतिवादी किशो[illegible] को अपने पुत्रो औंकारसिंह एवं प्रकाशसिंह के नाम 0.34 हैक्टर तथा अन्य [illegible]रान के नाम भूमि हस्तानान्तरित की है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी के पुत्रो के हक हिस्से में से कम की जानी है। प्रतिवादी का अनुपस्थित रहना ही अपने आप में साबित है कि प्रश्नगत भूमि में से 0.16 हैक्टर भूमि को बिना सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किये

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

अकृषि प्रयोजन प्रयोग में लिया है तथा आदर्श विद्या मंदिर स्कूल का निर्माण कर लिया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्त भूमि राजकीय दर्ज कर कब्जे राज लिये जाने हेतु वाद डिक्री पाया गया।

आदेश

ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 1364/561 कुल रकबा 9.04 में 0.16 हैक्टर भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहॉ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) प्रतिवादी के पुत्रो औंकारसिंह प्रकाशसिंह के हिस्से में से कम कर राजकीय दर्ज करते हुए उपरोक्त भूमि 0.16 हैक्टर को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 30/9/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबूलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम : **कुचामन सिटी**

बइजलास : **बाबूलाल जाट** (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 102/2012 (गत मु.नं. 111/2009) {RCMS 2009/00033}

वादी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान

बनाम

प्रतिवादी

1. किशोरसिंह पुत्र मानसिंह राजपूत निवासी चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

दावा :– **अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू राज पैरोकार हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री .... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम चितावा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान के खसरा नम्बर 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 1364/561 कुल रकबा 9.04 में 0.16 हैक्टर भूमि (तहसीलदार कुचामनसिटी के यहाँ प्रस्तुत 90 A में दर्शित भूमि) प्रतिवादी के पुत्रो औंकारसिंह प्रकाशसिंह के हिस्से में से कम कर राजकीय दर्ज करते हुए उपरोक्त भूमि 0.16 हैक्टर को कब्जे राज लिये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

निज .... मुबलिग .... बाबत.................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक को 30/9/2021 को जारी की गई।

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
ओहदा
कुचामन सिटी (नागौर)
(मुहर)

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिष्नर		
फीस कमिष्नर			[illegible] हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			[illegible]		
मुतफरिक			[illegible]		
मीजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.12.21 17:11:42 IST
Reason: SelfAttested

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए